उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-68/2017/2153/92-1-2017-8(अधि0)/2017
लखनऊ: दिनांक: 26 जुलाई, 2017

**कार्यालय-ज्ञाप**

तात्कालिक प्रभाव से श्री हरेन्द्र सिह, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आजमगढ़ को अपने वर्तमान पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ शासन के अग्रिम आदेशों तक शासकीय कार्यहित/जनहित में अत्यन्त काम चलाऊ व्यवस्था (Stop gap arrangement) के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मऊ में रिक्त अधिशासी अभियंता के पद के कर्तवयों एवं दायित्वों का अतिरिक्त रूप से निर्वहन किये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री हरेन्द्र सिंह को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-68/2017/2153(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( राम रतन )
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in